न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अध्यक्ष महोदय,केम्प भोपाल म0प्र0

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2017/4896

रिविजन क0........./2017–18

1– मंसाराम आ0 देवजी आयु 52 वर्ष

2– भारतसिह आ0 भुज्जी आयु 30 वर्ष

3– किशनलाल आ0 नवलसिंह आयु 55 वर्ष ।

तीनो निवासी ग्राम गमीरी तहसील व जिला रायसेन म0प्र0–––––––––आवेदकगण/ निगरानीकर्तागण

अभिभावक श्री.......... द्वारा आज दिनांक.......... को पेश।

विरूद्ध

1– नन्नूलाल आ0 पूरनसिंह आयु 48 वर्ष ।

2– हल्के आ0 पूरनसिह आयु 44 वर्ष।

दोनो निवासी ग्राम गमीरी तहसील व जिला रायसेन म0प्र0–––––––––––अनावेदकगण/उत्तरदातागण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

माननीय महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/ निगरानीकर्तागण मंसाराम, भारतसिंह,किशनलाल की ओर से निम्न निवेदन है :–

वांछित प्रकरण:– श्रीमान तहसीलदार महोदय रायसेन के रा0प्रकरण क0 4/अ–70/2016–17 नन्नूलाल आदि विरूद्ध मंसाराम आदि में पारित आदेश दिनांक 09/11/2017 से दुखी व क्षुप्त होकर यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

नि...........2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2017/4896

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-10-18	आवेदक अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापति तथा अनावेदक की ओर से श्री एल0एन0चौहान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 17-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	